# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 104/2025

**प्रार्थीगण :–**

1. अरूण व्यास पुत्र श्री अभयकरण व्यास जाति ब्राहम्ण, निवासी प्रतापनगर, जोधपुर।
2. अशोक कुमार पुत्र श्री मुलचन्द
3. तनसुखलाल पुत्र श्री मुलचन्द जातियान जैन, निवासी जोधपुर।

**ब ना म**

**अप्रार्थी :–**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर।

———

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम**

**उपस्थिति : –**

1. प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा।
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित।

दिनांक :– 04-7-2025

**–: आदेश :–**

प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमिया वाके राजस्व ग्राम रोहिला भाण्डू तहसील झंवर, जिला जोधपुर में स्थित प्रार्थी संख्या एक की खातेदारी की खसरा संख्या 5 रकबा 0.6394 हैक्टेयर एवं प्रार्थी संख्या दो व तीन की खसरा संख्या 5/2 रकबा 0.6313 हैक्टेयर भूमि हैं जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार के मालिक काबिज काश्त हैं। प्रार्थीगण अपने उपरोक्त कृषि भूमियों को आवारा पशुओं से सुरक्षा हेतु पत्थर रोपकर तारबन्दी करवाना चाहते हैं लेकिन मौके पर स्थायी सीमाचिन्ह कायम नहीं होने से खसरा संख्या 5 व 5/2 की सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण को ज्ञान नहीं हैं इस उद्देश्य से उक्त सम्पूर्ण खसरे की भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान तहसीलदार झंवर के आदेश दिनांक 18.12.2024 की पालना में दिनांक 08.01.2025 को किया गया। प्रार्थीगण ने उक्त राजस्व कर्मचारियों को सीमाजान अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी करने हेतु निवेदन भी किया गया लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने पत्थरगढ़ी करने से इन्कार कर दिया एवं पत्थरगढी करवाने हेतु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

स्थायी मुटाम के अभाव में प्रार्थीगण के खसरे की सीमाओं को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी हैं इसलिये प्रार्थीगण वास्ते स्थायीः सीमाचिन्हों की पत्थरगढी करवाकर अपने खसरे की सीमाओं पर तारबन्दी करवाना चाहते हैं इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व नक्शे पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार झंवर को प्रकरण में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट/जवाब पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई जिस पर तहसीलदार झंवर द्वारा अपने पत्र कमांक कोर्ट/2025/211 दिनांक 02.07.2025 के द्वारा प्रकरण में अपना जवाब/मौका जांच रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल की गई। तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी अरूण व्यास पुत्र अभयकरण व्यास की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 05 रकबा 0.6394 हैक्टेयर एंव सहप्रार्थी अशोक कुमार तथा तनुसखलाल की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 5/2 रकबा 0.6313 हैक्टेयर ग्राम रोहिला भाण्डू के उक्त दोनो खसरे पूर्व में मौजूद खसरा नं. 05 के ही बटटा है जो कि नेशनल हाईवे के रूप में सडक अवाप्ति होने से खसरा संख्या 5, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5 एंव 5/6 के रूप में खातेदारी भूमि है। खसरा संख्या 5/1 रकबा 0.1781 हैक्टेयर भूमि नौवहन सडक परिवहन एंव उच्च मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के नाम दर्ज है। खसरा संख्या 5/2 एंव 5 की पैमाईश पूर्व में हल्का पटवारी भाण्डू क़ंला द्वारा दिनांक 8 जनवरी 2025 को की गई। राजस्व रिकार्ड नक्शा अनुसार उक्त खसरों का क्षेत्रफल 0.6313 हैक्टेयर (खसरा संख्या 5/2) एवं 0.6394 हैक्टेयर (खसरा संख्या 05) है जबकि मौका नाप अनुसार क्षेत्रफल 0.6273 (खसरा संख्या 5/2) एंव 0.6354 हैक्टेयर (खसरा संख्या 05) है। मौका पर उक्त खसरो का शेष भाग इन खसरो के उत्तर दिशा की तरफ खसरा संख्या 01 में दबा हुआ है जिसका प्रयोग मौके पर पगडंडी के रूप में हो रहा है।

प्रकरण में प्रार्थीगण के अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार मौका फर्द दिनांक 08.01.2025 को प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमिया वाके राजस्व ग्राम रोहिला भाण्डू तहसील झंवर के खसरा संख्या 5 रकबा 0.6394 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 5/2 रकबा 0.6313 हैक्टेयर का सीमाज्ञान किया जा चुका हैं लेकिन पत्थरगढ़ी नहीं की गयी हैं जबकि प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमियां ग्राम रोहिला भाण्डू तहसील झंवर के खसरा संख्या 5 रकबा 0.6394 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 5/2 रकबा 0.6313 हैक्टेयर की जमाबंदी में दर्ज हिस्से एवं मौका फर्द दिनांक 28.06.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी किया जाकर पालना से न्यायालय को अवगत करवाएंगे। मौका फर्द/रिपोर्ट दिनांक 28.06.2025 आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी, जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी